

आज का पत्र

7/10/25

पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोंडेंट्स की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण जाम्बूल पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्तु अभिम कार्यवाही दिनांक...2.../...2.../... को पेश हो।

[Handwritten signature]

2.12.25

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तरतीब तकनीक दाखिल दफतर हो।

[Handwritten signature]

अपीलान्त को जाने
की नोट प्रेस
में खारिज
करवाये
हस्ताक्षर
करवाये
अपीलान्त
नोट प्रेस
में खारिज
की जाती है
निर्णय सरे
इजलास सुनाया
गया। प्रकरण
फंसल शुमार
होकर नम्बर से
कम होकर वाद
तरतीब तकनीक
दाखिल दफतर
हो।

पहचानकर्ता
Amaldeep
3/12/25